APP-A
Crim-I

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – फलामादा

शंकर लाल पिता रुपा ब्राहमण निवासी– फलामादा बनाम श्रीमति माया देवी पत्नि मदन लाल पुरोहित, निवासी– फलामादा

किस्म मुकदमा– वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89, 92, 188 रा.टि.ए.

प्रकरण संख्या– 273/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10.0[illegible].2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट फलामादा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर वकील उभयपक्ष की बहस को सूना गया। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात जमाबन्दी सम्वत् 2014–2017 में वादी के पिता रुपा पिता धूला के नाम दर्ज थी, लेकिन बन्दोबश्त पूर्व सम्वत् – 2014–2017 के मध्य में राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी आधार वैध दस्तावेज के ही गलत तौर पर जमाबन्दी सम्वत् 2014–2017 में उक्त वर्णित आराजीयात के सामने बिकाव से शब्द लिख दिये जाने से बन्दोबश्त पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 में उक्त आराजी को प्रतिवादी के दादा मोहन लाल पिता बरदीचन्द्र के नाम पर दर्ज कर दिया तथा मात्र इसी कारण से बन्दोबश्त पश्चात सामान्य प्रक्रिया से मोहनलाल की विरासत से हाल राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या– 1 से 6 के नाम पर दर्ज कर दिया गया जबकि वादग्रस्त आराजीयात को वादी के पिता रुपा ने कभी विक्रय नही किया और न ही ऐसा कोई विक्रय पत्र निष्पादित शुदा नही है महज राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जमाबन्दी से वादी के पिता का नाम हटाकर प्रतिवादी के दादा मोहनलाल के नाम दर्ज कर दिया गया । वकील वादी ने यह भी कथन किया कि अचल सम्पति का विक्रय बिना लिखित दस्तावेज एवं पंजीयन करवाये बिना नही हो सकता है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि के लिये खातेंदार घोषित फरमाया जावें।

जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी के दादा मोहन लाल पिता बिरदी चन्द ने वादी के दादा रुपा पिता धूला से साबिक आराजी नम्बर– 282, 286, को दिनांक 27.07.1955 में 200/– रुपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से तथा आराजी नम्बर– 871/1, 873/1, में से 1/2 भूमि को 90/– रुपये में दिनांक 10.08.1958 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया मोहनलाल के जीवनकाल में उनका उनकी मृत्यु के

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

बाद मदनलाल तथा प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है। जमीन की कीमत बढ जाने से वादी के मन में लालच आ जाने से अपने दादा के द्वारा किये गये विक्रय पत्रों को चुनौति दे रहा है। तथा नाजायज गुट बनाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तथा वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जिसका उसका कोई हक अधिकार नही है इसलिये वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में कथन किया कि प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वादी को पाबन्द फरमाया जावें तथा दोनो विक्रय पत्र के निष्पादित हुये 30 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने से वादी अब चुनौति नही दे सकता है । अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

मैनें वकील उभयपक्ष को सूना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2014–2017 मौजा फलामादा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 282 रकबा 17 बिस्वा, 286 रकबा 16 बिस्वा, 871/1 रकबा 05 बिस्वा, 871/5 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, 873/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात के साथ रुपा के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। तथा उक्त आराजी में जमाबन्दी में आराजी नम्बर– 288, 286, 871/1, 871/5, 873/1 के सामने बिकाव से कमी अंकन होना प्रकट आया है तथा इस रोटेशन की अगली जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 में उक्त वादग्रस्त आराजीयात मोहनलाल पिता बरदी चन्द साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना भी प्रकट आया है।

पत्रावली में उपलब्ध सेटलमेन्ट के खसरा सम्वत् 2022 मौजा फलामादा के अनुसार साबिक नम्बर– 286 के नये नम्बर– 550, 282 के नये नम्बर– 539, 871/1 के नये नम्बर– 1332, 873/1 के नये नम्बर– 1341 बनाया जाना स्पष्ट हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध हाल जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के अनुसार वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर– 550, 1332, 539, 1341 अन्य आराजीयात के साथ मदनलाल पिता मोहनलाल ब्राहमण साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 1269विरासत से मदनलाल के बजाय दिनेश, सतीश, सुरेश, राकेश, नरेश पिता मदन, मायादेवी बेवा मदनलाल ब्राहमण् साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है।

यहॉ वादीगण का कथन है कि उक्त भूमि उनके पिता के खातेदारी में जमाबन्दी सम्वत् 2014–2017 में दर्ज थी, जिसमें राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी आधार पर दस्तावेज के आराजीयात के सामने बिकाव शब्द लिख दिये जाने से रोटेशन जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के दादा मोहनलाल के नाम दर्ज हो गई । जबकि उक्त आराजीयात का

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

उनके पिता रुपा ने कभी बैचान नही किया था। इसके विपरीत प्रतिवादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी को वादी के पिता रुपा ने उनके दादा मोहनलाल को विक्रय की गई थी। अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.1955 की फोटोप्रति तथा दिनांक 10.08.1958 की लिखापढी प्रस्तुत की गई। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.1955 के अनुसार रुपा वल्द धुलेराम ब्राहमण साकिन फलामादा के द्वारा ग्राम फलामादा की आराजी नम्बर– 282 रकबा 17 बिस्वा, 286 रकबा 16 बिस्वा किता 2 रकबा रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि को 200/– रुपये में मोहनलाल बल्द विरदीचन्द ब्राहमण साकिन फलामादा को विक्रय किया जाना प्रकट आया है। तथा लिखापढी दिनांक 10.08.1958 के अनुसार आराजी नम्बर– 871/1, 871/5, 873/1 को 90/– रुपये में मोहनलाल को बैचान किया जाना प्रकट आया है। उक्त लिखापढी में आराजी नम्बर व रकबा में औवर लेप व कटींग होने से संदिग्ध अवश्य लगता है। किन्तु उक्त विक्रयनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात के प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज 55 सालों से खातेदार दर्ज रेकार्ड चले आ रहे है। यदि वादी के पिता रुपा ब्राहमण के द्वारा आराजीयात का बेचान नही किया होता तो अवश्य ही उनके द्वारा उक्त रदोबदल इन्द्राज को चुनौति दी जाती जो उनके द्वारा नही दी गई । रुपा ब्राहमण के स्वर्गवास के बाद वादी के द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है, जो सारहीन प्रतीत हुआ है। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व खसरा गिरदावरी के अनुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार व कब्जा प्रतिवादीगण का होना प्रकट होने से यदि वादी को पाबन्द नही किया गया तो वह आये दिन प्रतिवादी को उनके हक हकूक की आराजी में दखलन्दाजी करता रहेगा, उन्हें आराजीयात से बेदखल कर देगा जिससे प्रतिवादीगण को उनके पुश्तैनी हक हकूक की आराजीयात से महरुम कर अपूर्णीय क्षति का सामना करना पडेगा, लिहाजा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य है।

"निर्णय"

दावा वादी खारिज किया जाता है, तथा प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मौजा फलामादा तहसील हुरडा की वादग्रस्त आराजी नम्बर– 550, 539, 1332, 1341 किता 4 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी हस्तक्षेप करने कराने से रुके रहे । तद्नुसार डिक्री पर्चो मूर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट फलामादा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा

Scanned by CamScanner